न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010027452026

Sessions Case/349/2026
State of U.P. Vs. Vansh
सत्र परीक्षण संख्या– 349/2026

सरकार

बनाम वंश आदि

मु0अ0सं0 322/2025

अन्तर्गत धारा– 296,351 (3) बी0एन0एस0, 66–ई,67–बी आई0टी0एक्ट , 3/4(2), 5–जी/6, 13/14 पोक्सो एक्ट, थाना हापुड देहात ,जिला– हापुड़।

दि0 18.05.2026: लंच बाद

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आरोप से उन्मुक्ति के सम्बन्ध में अभियुक्त/किशोर अपचारी ''एन'' उर्फ ''आर'' पुत्र सोनू की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 18.05.2026 पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को पूर्व में सुना जा चुका है । पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया ।

अभियुक्त/किशोर अपचारी ''एन'' उर्फ ''आर'' पुत्र सोनू की ओर से प्रार्थनापत्र दि0 18.05.2026 प्रस्तुत कर यह कथन किये गये है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मामले में निर्दोष है तथा उसे झूठा फसाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मामले से कोई लेना देना नही है। उपरोक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर पीडित को खिला–पिलाकर नशे की हालत में अश्लीलता करना तथा विडियो बनाकर तथा विडियो को वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। परन्तु पत्रावली पर पीडित का शराब के नशे का कोई मैडिकल नही है तथा ना ही किसी प्रकार का कोई विडियो मौजूद है। जिसके आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्ट्या आरोप नही बनता इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 296,351 (3) बी0एन0एस0,66–ई,67–बी आई0 टी0 एक्ट ,3/4(2), 5–जी/6, 13/14 पोक्सो एक्ट, का कोई अपराध नहीं बनता है तथा ना ही उपरोक्त अपराध के सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई आवश्यक तत्व

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.05.19 10:05:12 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

पत्रावली पर मौजूद नही है। चार्ज बनाते समय माननीय न्यायालय को केवल इस तथ्य को देखना होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला बनता है या नहीं। प्रार्थी/अभियुक्त पढ़ने लिखने वाला छात्र है जो कक्षा 9 का छात्र है तथा इस प्रकार झूठा रजिशन केस चलने से प्रार्थी/अभियुक्त का सम्पूर्ण जीवन अंधकारमय हो रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त ने इस प्रार्थनापत्र के अलावा कोई अन्य उन्मोचन प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में नहीं दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली व उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अनेक निर्णय है। जिसमें कहा गया है कि जब तक किसी अपराध के आवश्यक तत्व पत्रावली पर मौजूद न हो अभियुक्त के विरूद्ध आरोप नही बनाया जा सकता। उपरोक्त मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाह के ब्यानो में काफी विरोधाभास है तथा कथित घटना के सम्बन्ध में कोई स्पष्टता नहीं है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी / अभियुक्त /किशोर अपचारी ''एन'' उर्फ ''आर'' पुत्र सोनू को उन्मोचित करने की याचना की गयी है ।

प्रार्थी/अभियुक्त/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित आधारों के अनुरूप ही तर्क प्रस्तुत किये गये तथा यह प्रार्थना की गयी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध नहीं है । अतः अभियुक्त को उन्मोचित किया जाये ।

जिसके विरूद्ध विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत कर कथन किया है कि अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र वैधानिक दृष्टि से पोषणीय नहीं है । प्रार्थनापत्र विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खण्डित होने येाग्य है । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है । बचाव पक्ष द्वारा जो बिन्दु उठाए गए हैं, वह मामले के गुण दोष से सम्बन्धित है,जिनके सम्बन्ध में इस स्तर पर कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया जाना है । बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई बल नहीं है ,अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त कर उनके विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये ।

आपरधिक न्याय विधि का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि किसी मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने के लिए न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ देखना होता है । इस स्तर पर न्यायालय को न तो मामले

की तह में जाने की आवश्यकता होती है, न ही मामले का गुण दोष पर निस्तारण करना होता है ।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए गए है , वह मामले के गुण दोष से सम्बन्धित है , जिनका निस्तारण न्यायालय द्वारा मामले के अन्तिम निस्तारण के समय ही किया जा सकता है । इस स्तर पर न्यायालय को विवेचक द्वारा संकलित की गयी साक्ष्य के आधार पर केवल प्रथम दृष्टया मामला ही बनता हुआ देखना होता है । वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' प्रार्थी जितेन्द्र चौधरी पुत्र प्रेम चौधरी निवासी भगवानपुरी थाना देहात जिला हापुड़ का रहने वाला है। प्रार्थी के बेटे हिमान्शु चौधरी को दिनांक 18–9–2025 को शाम 9.15 बले रमन पुत्र सोनू फोन करके मेरे बेटे को पन्नापुरी राजधानी स्कूल के पास बुलाया । वहाँ पर भारत पुत्र बब्बु, यश पुत्र देवेन्द्र, वंश पुत्र नामालूम माता का नाम सन्तोष मौजूद थे । उन चारों ने मिलकर मेरे बेटे को शराब पिलाकर नशे की हालत में करके मेरे बेटे हिमान्शु उपरोक्त चारों दोस्तो ने अश्लीलता की तथा फोन सी वीडियो बनाकर मेरे बेटे को धमकी हिमान्शु के साथ देकर कहा कि यदि किसी से कहा तो वीडियो वायरल कर देंगे । महोदय कल से मेरे बेटे की वीडियो वायरल कर दिया है। कई लोग वाटसप पर फोन में लेकर घूम रहे है। अब यो चारो व्यक्ति मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे है। मेरी रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें । ''इस प्रकार वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में स्पष्ट तौर पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ प्रार्थी/अभियुक्त/किशोर अपचारी ''एन'' उर्फ ''आर'' पुत्र सोनू को नामित किया गया है । उक्त एफ0आई0आर0 के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गयी। पीडित द्वारा अपने बयान अ0धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि – ''दि0 18.09.2025 की रात को नमन पुत्र अज्ञात, भारत पुत्र अज्ञात, यश पुत्र अज्ञात,वंश पुत्र अज्ञात,ने मुझे मेरे घर से बाहर से मुझे अपने घर ले गये । हम नमन के घर गये । वहां मुझे दारू , बीडी पिला दिया और मै नशे में घर जाना चाहता था । तो इन लोगो ने रोक लिया , फिर मुझे होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है । फिर मैं सुबह घर चला गया । मुझे शाम को एक व्यक्ति अज्ञात ने मेरा वीडियो दिखाया । फिर मैंने इन चारो से पूछा तो नमन ने बताया कि मैने वीडियो बनाया । यह तीनो हरकत कर रहे थे और इन चारो ने मुझे जान से मारने की धमकी

दी और उसके बाद से मुझे धमकिया दे रहे है । ये चारो मेरे दोस्त है ।''विवेचक द्वारा दौरान विवेचना इस सम्बन्ध में सुसंगत साक्ष्य संकलित किया गया है तथा पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण /किशोर अपचारी ''एन'' पुत्र सोनू , ''वी'' पुत्र प्रमोद कुमार, ''बी'' पुत्र बब्बू के विरूद्ध धारा 296,351(3) बी0एन0एस0, 66–ई,67–बी आई0टी0एक्ट, 3/4(2), 5–जी/6, 13/14 पोक्सो एक्ट, में आरोपपत्र प्रस्तुत किये गये । आरोप विरचन के स्तर पर न्यायालय को मामले की तह में जाकर गुण दोष पर निस्तारण नहीं करना होता है ।

इस स्तर पर बचाव पक्ष की ओर से जो भी तर्क उठाये गये हैं , उस सम्बन्ध में पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य आने के उपरान्त ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है । इस स्तर पर अभियुक्त पर आरोप विरचित किए जाने के लिए न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ देखना होता है। इस स्तर पर न तो मामले की गहराई में जाने की आवश्यकता होती है , न ही साक्ष्य का गुणदोष पर विश्लेषण करना होता है । अभियुक्त द्वारा अपने उन्मोचन के जो आधार लिए गए हैं, उस सब के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य आने के उपरान्त मामले के अन्तिम निस्तारण के समय ही निष्कर्ष निकाला जा सकेगा । इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2009(1)JIC SC पलविन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि ''आरोप विरचन के समय न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता बहुत ही सीमित है । इस स्तर पर साक्ष्य का मूल्यांकन अनावश्यक है । मात्र मजबूत संदेह के आधार पर ही आरोप विरचित किया जाना न्यायसंगत है ।'' **माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2008(3)CCSC SC सांधी ब्रदर्स बनाम संजय चौधरी** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि ''आरोप विरचन के समय आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण सिद्धान्त लागू होगा – यहां तक कि अपराध कारित करने और अभियुक्त की संलिप्तता की दृढ आशंका भी – आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त है । '' इसी प्रकार **माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्ण पीठ के द्वारा 2005(1)JIC 289 उडीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ** के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया है कि'' आरोप विरचन के समय अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सामग्री विचार में नहीं लायी जा सकती है। ''

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **राजकुमार लहरिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2001(1) जे0आई0सी0 736 एस0सी0** के मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि ''आरोप विरचन के स्तर पर साक्ष्य का गुण–दोष पर विश्लेषण

किया जाना संभव नहीं है ।''

इस स्तर पर बचाव पक्ष की ओर से जो भी तर्क उठाये गये हैं , उस सम्बन्ध में पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य आने के उपरान्त ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है तथा विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण /किशोर अपचारी ''एन'' पुत्र सोनू , ''वी'' पुत्र प्रमोद कुमार, ''बी'' पुत्र बब्बू के विरूद्ध धारा 296,351(3) बी0एन0एस0, 66–ई,67–बी आई0टी0एक्ट,3/4(2), 5–जी/6, 13/14 पोक्सो एक्ट, का आरोप विरचित किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य है । उपरोक्त वर्णित तमाम विवेचना के आधार पर स्पष्टतः अभियुक्त/किशोर अपचारी ''एन'' उर्फ ''आर'' पुत्र सोनू की ओर से उन्मोचन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/किशोर अपचारी ''एन'' उर्फ ''आर'' पुत्र सोनू की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 18.05.2026 निरस्त किया जाता है। पत्रावली दि0 02.06.2026 को वास्ते आरोप विरचन पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।